न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 130/2022 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2022/161

नगर पालिका सूरतगढ़ जरिये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. श्यामलाल पुत्र बजरंगलाल जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 18 सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री बहादुरराम सुथार – अभिभाषक अपीलांट
श्री बालकिशन शर्मा – अभिभाषक रेस्पोडेंट सं. 1

निर्णय

दिनांक 08.09.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 11.11.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील मीमों अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–

1– वादग्रस्त भूमि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 442 की तादादी 5.060 हैक्टेयर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को टीसी आवंटित भूमि है। उक्त आवंटित रकबा पैराफेरी क्षेत्र में आने के कारण रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 03.06.2006 के विरूद्ध अपील पेश की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2021 पारित करते हुए स्वीकार कर लिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2— अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी मय शपथ व मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करने व अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाकर अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री बहादुर राम सुथार ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.11.2021 पूर्णतया एकतरफा व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। जैर अपील रकबा रोही कस्बा सूरतगढ़ के खंसरा नंबर 442 का 5.060 हैक्टेयर, जो पूर्व में रेस्पो. सं. 1 को टी.सी. आवंटन था, जिसका सम्वत् 2040 से कभी भी नवीनीकरण नहीं हुआ है व भूमि आराजीराज थी। इसकारण से रेस्पोडेन्ट सं. 1 का कब्जा काश्त पिछले 38 वर्षों से नहीं रहा है। उक्त भूमि राज्य सरकार एवं जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेशों के मुताबिक कस्बा सूरतगढ़ के पैराफेरी क्षेत्र में आने के कारण खारिज किया जाकर नगरपालिका सूरतगढ़ को वर्ष 2006 में सौंप दिया गया। मौके पर पिछले 16 सालों से अपीलांट द्वारा विकास कार्य किया जा रहा हैं। वादगत रकबा नगर पालिका की 2 किमी की परिधि में आ चुका है, जहां न तो खातेदारी मिल सकती है और न ही टी.सी. आवंटन नवीनीकरण किया जा सकता है। वादगत रकबा का स्वामित्व/कब्जा अपीलांट के पास है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रिपोर्ट मंगाए आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल की है। आदेश जैर अपील 9 वर्ष बाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई, जो मियाद बाहर थी। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी जब हुई जब अपीलांट के कर्मचारी वादगत भूमि पर विकास कार्य कर रहे थे। अपीलाधीन रकबा अपीलांट को दिनांक 07.09.2006 को हस्तांतरित हो चुका है। इस रकबा में अपीलांट ने आबादी बनाई हुई है। रेस्पो. सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार ही नहीं बनाया। तदुपरांत अपीलांट को जानकारी होने पर प्रार्थना पत्र पेश कर पक्षकार बना। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान कथन किया कि तहसीलदार सूरतगढ़ ने आदेश दिनांक 03.06.2006 रेस्पो. सं. 1 को बिना सुने, बिना साक्ष्य के जारी कर रेस्पो. के 40 वर्ष पुराने टी.सी. आवंटन को अपने ही कयासो के आधार पर खारिज कर दिया। अपीलांट को उक्त भूमि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें सन 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत सन् 1970–71 में अस्थाई पट्टा पर आवंटित हुई थी, जिसका आवंटन से लेकर संवत 2061 तक नवीनीकरण होता रहा है। तहसीलदार सूरतगढ़ ने केवल पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर रेस्पो. का रकबा नगरपालिका पैराफैरी क्षेत्र में आना मानकर खारिज कर दिया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2021 पारित करते हुए तहसीलदार सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 03.06.2006 को निरस्त किया जाना उचित एवं सही है। तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपीलांटा का वादगत रकबा नगरपालिका की सीमा के 2 किलोमीटर की परिधि में मानकर खारिज कर दिया जबकि रेस्पो. का उक्त रकबा 8 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर है। तहसीलदार सूरतगढ़ को रेस्पो. के उक्त टी.सी. आवंटन को खारिज करने का अधिकार ही नही है। अपीलांट द्वारा वादगत भूमि में कोई स्कीम नहीं चला रखी है। अपीलांट स्वयं द्वारा रेस्पो. के हक में अनापति प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है। आदेश दिनांक 03.06.2006 में वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम का हवाल दिया गया जबकि उक्त नियम 1996 में बने एवं वादगत भूमि वर्ष 1970 से ही आवंटित होकर निरंतर कब्जे काश्त में चली आ रही थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अंपीलाधीन आदेश सही एवं नियमानुसार है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2021 पारित कर रेस्पो. सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश अपील को स्वीकार करते हुए तहसीलदार सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 03.06.2006 को निरस्त कर दिया। तहसीलदार सूरतगढ़ का उक्त आदेश दिनांक 03.06.2006 रेस्पोडेन्ट सं. 1 को सुनवाई का अवसर दिये बिना इकतरफा तौर पारित किया गया है। साथ ही राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें, 1955 के अनुसार टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को नही होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार जिला कलक्टर को है। उक्त परिपेक्ष्य में

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिलां कलक्टर सूरतगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2021 न्यायोचित है। हम अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2021 यथावत रखा जाता है।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर